

10/12/19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी स्वयं अनुपस्थित। न्यायालय सत्र में वकील वादी व वादी स्वयं को बार-बार आवाज लगावाई गई, कोई भी उपस्थित नहीं। अतः पुनः न्यायालय सत्र में दोपहर उबजे बार-बार वकील वादी व वादी स्वयं को आवाज लगावाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं। न्यायालय सत्र सायंकाल स्याबाल्य सत्र सत्र सत्र से पूर्व सायंकाल को पुनः वकील वादी व वादी स्वयं को बार-बार आवाज लगावाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं। अतः वकील वादी व वादी स्वयं को बार-बार आवाज लगावने के बावजूद भी उक्त वकील वादी व वादी स्वयं अनुपस्थित रहने पर पत्रावली इसी स्तर पर अटक चैकी। अदालत हाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली केवल शुक्र होकर बाप वकमील काबिल दफ्तर है।



- 144
उपसंहार अधिकारी।
घोद म सीकर

